K.L. POLY ROORKEE

कन्हैया लाल पॉलिटेक्निक, रुड़की हरिद्वार, उत्तराखण्ड (सरकार से सहायता प्राप्त संस्थान) में निम्नलिखित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते है। आवेदन पत्र संस्था के कार्यालय में दिनांक 20/02/2026 को सायं 05:00 बजे तक रजिटर्ड डाक/स्पीड–पोस्ट द्वारा स्वीकार किये जायेंगे।

1. पदनाम – प्रधानाचार्य

1.	पदों की संख्या	01
2.	वेतनमान	रू0 15600 – 39100, ग्रेड पे– रू0 6600 (7वें वेतनमान के अनुसार पुनरीक्षित वेतनमान – रू0 67700 – 208700, लेवल–11)
3	पद का स्वरूप	अस्थायी, अंशदायी पेंशन युक्त (समूह–ख)
4	अनिवार्य शैक्षिक अर्हता	1– इंजीनियरिंग या प्राविधिकी में प्रथम श्रेणी की स्नातक उपाधि और विभागाध्यक्ष या प्रवक्ता के पद पर शिक्षण देने या किसी सरकारी संस्थान/विभाग/सार्वजनिक उपक्रम अथवा लिमिटेड कम्पनी में ज्येष्ठ प्रबंधकीय पद पर 10 वर्ष का अनुभव/इंजीनियरिंग या प्रावधिकी में स्नातकोत्तर उपाधिधारियों के लिये अनुभव में तीन वर्ष की शिथिलता। 2– हिन्दी का ज्ञान। टिप्पणी– सरकारी/सहायता प्राप्त संस्थाओं/संस्थानों/सार्वजनिक उपक्रमों एवं लिमिटेड संगठनों का अनुभव स्वीकार किया जायेगा और उसकी गणना तभी की जायेगी जब अभ्यर्थियों ने विहित शैक्षिक अर्हतायें प्राप्त कर ली हो।
5	अधिमानी अर्हता	अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा– (1) इंजीनियरिंग/प्रावधिकी में शोध कार्य (2) प्रादेशिक सेना में कम से कम 02 वर्ष की सेवा की हो, या (3) नेशनल कैडेट कोर (एन0सी0सी0) का 'बी' अथवा 'सी' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो: को अन्य बातों के समान होने पर अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा।
6	आयु सीमा	आयु सीमा – 35 से 50 वर्ष निर्धारित है। आयु की गणना की निश्चायक तिथि 01 जनवरी 2026 है। अभ्यर्थी की आयु 01 जनवरी 2026 को न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए तथा 50 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए।

रिक्ति का विवरण :–रिक्ति की संख्या–01 (एक)

क्र0 सं0	पदनाम	लम्बवत् आरक्षण श्रेणी	कुल रिक्त पदों की संख्या	क्षैतिज आरक्षण के तहत रिक्त पदों की संख्या					
				उत्तराखण्ड महिला	उत्तराखण्ड संग्राम सेनानी के आश्रित	भूतपूर्व सैनिक	दिव्यांगजन	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे	कुशल खिलाडी
01	प्रधानाचार्य	सामान्य	1	–	–	–	–	–	–

:–अति महत्वपूर्ण निर्देश :–

1. अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदन–पत्र भरने की अन्तिम तिथि अर्थात् दिनांक. 20–02–2026 तक विज्ञापन में वर्णित समस्त अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं, अनुभव एव अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हों।

   अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं धारित करने की तिथि का निर्धारण केवल अंक–पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) से किया जायेगा। अतः

K.L.POLY. ROORKEE

अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले की आवेदन–पत्र के शैक्षिक अर्हता (Qualification Details) के विवरण में Results Declaration Date के कॉलम में सम्बन्धिक शैक्षिक अर्हता के अंक–पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) का अंकलन हो।
अभिलेख सत्यापन के समय विज्ञापन के अनुसार वॉछित अर्हताओं की पुष्टि न होने पर अभ्यर्थी को अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा।

2. अभ्यर्थी आवेदन करने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली–भांति अध्ययन कर लें तथा आवेदन पत्र को सही–सही भरें। अपूर्ण आवेदन पत्र किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किये जायेंगे तथा अभ्यर्थन स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा। आवेदन हेतु निर्धारित अतिंम तिथि / समय तक ही आवेदन पत्र पंजीकृत डाक / स्पीड–पोस्ट के माध्यम से ही स्वीकार किये जाएंगे।

3. फर्जी प्रमाण–पत्रों (शैक्षिक योग्यता / आयु / आरक्षण आदि सम्बन्धी) के आधार पर आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों को इस साक्षात्कार से व समस्त आगामी साक्षात्कार से अधिकतम 05 वर्षो के लिए प्रतिवारित (DEBAR) कर दिया जायेगा। साथ ही सुसंगत विधि के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के विरूद्ध अभियोग भी दर्ज कराया जा सकता है।

4.
   1. प्रश्नगत पद हेतु चयन का निर्धारण उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्या–3510(1) / 16–प्रा0शि0–2–1999 दिनांक 18 दिसम्बर 1999 में वर्णित व्यवस्थानुसार प्रधानाचार्य पद पर सीधी भर्ती के लिए चयन हेतु शैक्षिक योग्यता, अनुभव तथा साक्षात्कार के निमित्त मापदण्ड के अनुसार किया जायेगा। साक्षात्कार से पूर्व अभ्यर्थियों द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र के साथ संलग्न अभिलेखों की स्क्रूटनी की जायेगी एवं तत्पश्चात् अर्ह अभ्यर्थियों का साक्षात्कार किया जाएगा।
   2. विज्ञापन में उल्लिखित शर्तानुसार यदि आवेदन–पत्र में अभ्यर्थी के दावे के अनुसार प्रमाण–पत्रों में भिन्नता अथवा कमी पायी जाती है, तो अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद हेतु अनर्ह घोषित कर दिया जाएगा। अतः अभ्यर्थी आवेदन पत्र में सभी सूचनाऐं सावधानीपूर्वक एवं सही–सही भरें।
   3. अभ्यर्थियों को साक्षात्कार की जानकारी कन्हैयालाल पॉलीटेक्निक रूड़की की वेबसाइट www.klproorkee.co.in के माध्यम से पृथक से प्रदान की जायेगी साथ ही अभ्यर्थियों को ई–मेल के माध्यम से प्रेषित की जायेगी। इसलिए अभ्यर्थी स्वयं का मोबाईल नम्बर व ई–मेल आई0डी0 ही आवेदन पत्र में भरें।

5. अभ्यर्थी अनुभव प्रमाण–पत्र हेतु परिशिष्ट–01 एवं अभिलेखों से संबंधित चैकलिस्ट हेतु परिशिष्ट–02 का अवलोकन करें।

6. प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों का प्रवेश–पत्र डाक / संस्था की ई–मेल द्वारा प्रेषित किये जायेंगे।

7. उत्तराखण्ड शासन, समाज कल्याण अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या–48/XVII-A-3/2023-01(11) / वि0क0 / 2017, दिनांक–05.06.2023 के अनुसार कन्हैयालाल पॉलीटेक्निक रूड़की में प्रधानाचार्य हेतु दिव्यांगता OA, OL, LV/PB, HH/PD, LC. Dw, AAV/AV श्रेणी की निःशक्तता से ग्रस्त दिव्यांगजन उपश्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित पदो के सापेक्ष खुली प्रतियोगिता के माध्यम से चयन हेतु आवेदन कर सकते है।

8. अभ्यर्थियों का चयन पूर्णतः औपबन्धिक है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि वह अभ्यर्थी निर्धारित अर्हताऐं धारित नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा और अभ्यर्थी का अन्तिम रूप से चयन भी कर लिया जाता है। तो वैसी दशा में भी अभ्यर्थी के अभिलेखों में त्रुटि / विसंगति पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।

K.L. POLY ROORKEE

कन्हैयालाल पॉलीटेक्निक रूड़की में प्रधानाचार्य पद पर चयन हेतु इच्छुक/पात्र अभ्यर्थियों से विज्ञापन की शर्तानुसार आवेदन आमंत्रित किये जाते है। इच्छुक/पात्र अभ्यर्थी समस्त अभिलेखों सहित अंतिम तिथि तक आवेदन कर सकते हैं।

अधिकतम आयु सीमा में छूट :—विभिन्न श्रेणियों/उपश्रेणियों के अभ्यर्थियों हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत एवं वर्तमान में प्रचलित शासनादेशों के अनुसार उच्चतम आयु सीमा में उनके आरक्षण की श्रेणी तथा उपश्रेणी के अनुसार छूट प्रदान की जाएगी।

1. उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति/उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति/उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु शासनादेश संख्या : 1399 दिनांक 21 मई 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है।
2. उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियों के लिए शासनादेश संख्या : 1244 दिनांक : 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है।
3. उत्तराखण्ड के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए शासनादेश संख्या : 2313, दिनांक : 30 जुलाई 2005 द्वारा समूह 'क' एवं 'ख' के पदों हेतु अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है।
4. शासनादेश संख्या : 17/2/1981 कार्मिक–2, दिनांक : 28 फरवरी, 1985 के अनुसार उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिकों को जिन्होंने सेना के आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित, पूर्व सैनिकों तथा कमीशन प्राप्त उन अधिकारियों को जिन्होंने सेना में कम से कम पांच वर्ष की सेवा कर ली हो, निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से अधिकतम पांच वर्ष तक की छूट सेवाकाल को आधार मानकर, दी जायेगी। यह छूट उन सैनिकों/अधिकारियों को भी अनुमन्य होगी जो छः माह की अवधि में कार्यमुक्त होने वाले परन्तु निम्नलिखित को अनुमन्य नहीं होगी :—
    1. जो कदाचार अथवा अकुशलता के कारण बर्खास्त हुए हों,
    2. जो सेना की सेवा में अवगुण समझी जाने वाली शारीरिक अयोग्यता अथवा अशक्तता के कारण सेवामुक्त हुए हों।

09. **राष्ट्रीयता** : संवर्ग में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी :—

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 01 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश – केन्या, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवजन किया हो,

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके पक्षमें राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो:

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उपमहानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर ले।

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में तभी रहने दिया जायेगा जबकि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी : ऐसे अभ्यर्थी को जिनके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक है, किन्तु न तो वह जारी किया गया है और न देने से इंकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय अथवा उसके पक्ष में जारी कर दिया जाये।

K.L. POLY ROORKEE

10. **चरित्र** :–संवर्ग में किसी पद सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह संवर्ग में नियोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी:–संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन या सहायता प्राप्त किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति संवर्ग में किसी पद पर नियमित नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधर्मता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

11. **वैवाहिक प्रास्थिति** :–संवर्ग में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो–

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रर्वतन से छूट दे सकती है यदि उसका यह का समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान है।

12. **शारीरिक स्वस्थता**:–किसी भी व्यक्ति को संवर्ग में किसी पद पर तभी नियुक्त किया जायेगा, जब मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो, किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह फाइनेन्शियल हैंण्डबुक खण्ड दो, भाग तीन के अध्याय तीन में दिये गये फण्डामेण्टल रूल, 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें–
परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण–पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

अध्यक्ष, प्रबंध समिति
कन्हैया लाल पालीटैक्निक, रूड़की

K.L. POLY. ROORKEE

परिशिष्ट–01

Experience Certificate

Name of Deptt./Office: ....

Address of Deptt./Office: ....

Date & Reg. no. of Company/Firm/Society/Institution/Trust ....

Contact No.:..

Website:..

Ref. No. :-

This is to certify that Shri /Smt. /Km. .... Son/Daughter/Husband of Shri.. is an employee of this Department/Organization/Company/Firm/ Society /Institution/Trust and duties performed by him during the period (s) are asunder

:

Name of post held	From dd/mm/yy	To dd/mm/yy	Total Period dd/mm/yy	Nature of appointment (Permanent Regular/ Temporary/ Part-time/ Contract/ Visiting faculty/Daily wages/ Honorary, etc.)	Nature of Experience: Field of Technical Education/ Field of Research/Industry experience	Pay scale and last salary drawn	Duties performed/ experience gained in brief in each post (Please give details)	Place of posting	Experience at B.Tech level	Experience at M.Tech level

It is also certified that above facts and figures are true and based on service records available in ourDepartment/Organization/Company/Firm/ Society/Institution/Trust.

Date :

Place :

Sign ....

(Signature & Name of Authorized Signatory in Capital Letters)

Designation with seal

Name & Signature of Candidate :

* All fields in this form are mandatory to be filled. Incomplete format will not be accepted in any case.

K.L. POLY ROORKEE

परिशिष्ट–02

कन्हैयालाल पॉलीटेक्निक रूड़की में प्रधानाचार्य के पद पर सीधी भर्ती हेतु आवेदन पत्र–2026

Check List

आवेदन पत्र क्रमांकः–.........................

अभ्यर्थी का नामः–...............................

क्र0सं0	प्रमाण पत्रों/अभिलेखों का विवरण	संलग्न है अथवा नहीं
1	आवेदन पत्र की प्रति।	
2	हाईस्कूल प्रमाण–पत्र	
3	हाईस्कूल अंकतालिका	
4	इण्टरमीडिएट प्रमाण–पत्र	
5	इण्टरमीडिएट अंकतालिका	
6	बी0टेक0/बी0ई0 उपाधि	
7	बी0टेक0/बी0ई0 अंतिम वर्ष/सेमेस्टर की अंकतालिका	
8	एम0टेक0/एम0ई0 उपाधि	
9	एम0टेक0/एम0ई0 अंतिम वर्ष /सेमेस्टर की अंकतालिका	
10	पी0एच0डी0 उपाधि (इंजीनियरिंग)	
11	अनुभव संबंधी प्रमाण–पत्र (परिशिष्ट 1 के प्रारूप पर)	
12	अधिमानी अर्हताओं सम्बन्धी प्रमाण–पत्र। (1) इंजीनियरिंग/प्राविधिकी में शोध कार्य (2) प्रादेशिक सेना में कम से कम 02 वर्ष की सेवा की हो, या (3) नेशनल कैडेट कोर (एन0सी0सी0) का 'बी' अथवा 'सी' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया होः को अन्य बातों के समान होने पर अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा।	
13	सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रदत्त लम्बवत् आरक्षण संबंधी प्रमाण–पत्र। (एस0सी0/एस0टी0) (यदि लागू हो)	
14	उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित संबंधी प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो)	
15	उत्तराखण्ड राज्य के दिव्यांग संबंधी प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)	
16	उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिकों को जिन्होंने सेना के आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित, पूर्व सैनिकों तथा कमीशन प्राप्त अधिकारी से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र।	
17	स्थायी निवास प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो)	
18	यदि अभ्यर्थी किसी केन्द्र अथवा राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठान के अधीन सेवारत है तो, सेवा नियोजक द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र की प्रति।	
19	यदि अभ्यर्थी के नाम/पिता के नाम में विभिन्न प्रमाणपत्रों में साम्य न हो तो उक्त के संबंध में स्वघोषणा प्रपत्र मूल रूप में।	
20	पासपोर्ट साइज के 02 नवीनतम स्वप्रमणित फोटोग्राफ एवं एक फोटोयुक्त आई0डी0।	

* यह स्पष्ट किया जाता है कि अंक–तालिकाओं को सम्बन्धित परीक्षा के मूल प्रमाण–पत्र अथवा डिग्री के स्थान पर मान्य नहीं समझते हैं और केवल अंक–तालिकाओं के आधार पर आपको सम्बन्धित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा। जिन परीक्षाओं के परीक्षाफल हाल में प्रकाशित हुये हों और परीक्षा संस्था (Examining Body) ने नियमित प्रमाण–पत्र (Certificate) अथवा उपाधि (Degree) नहीं दिये हों, उनके लिए औपबन्धिक प्रमाण–पत्र (Provisional Certificate) मूल प्रमाण–पत्र के स्थान पर जमा करना होगा।

** एस0सी0/एस0टी0 एवं अन्य आयु में छूट सम्बन्धित प्रमाण–पत्र विज्ञापन के अनुसार आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक वैध होना चाहिए। अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि उनका आयु में छूट सम्बन्धी प्रमाण–पत्र उत्तराखण्ड राज्य की सेवाओ हेतु जारी हों।

नोट–अभ्यर्थी उक्तानुसार चैकलिस्ट सहित चैकलिस्ट में उल्लिखित समस्त अभिलेखों की छायाप्रति के 02 स्वप्रमाणित सेट पूर्णरूप से भरते हुए तैयार करेंगे एवं अभिलेख सत्यापन (Document verification) के समय प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर....................

अभ्यर्थी का नाम....................